***Regarding need for a review petition in Supreme Court against its recent order for making TET compulsory for in-service teachers-Laid**

श्री अवधेश प्रसाद **(फैज़ाबाद) :** उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों को जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक है, उन्हें टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है । ऐसा आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार हुआ क्योंकि सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी नहीं की गई । मैं मांग करता हूँ कि सरकार पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में लाए अथवा अध्यादेश लाकर यह अनिवार्यता समाप्त कराएं और लाखों शिक्षकों को संकट से बचाएं ।